

12/4/19

पत्रावली पेश हुई।


प्रार्थीगण के वकील उप0।

प्रार्थीगण के प्रार्थना पत्र का संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थीगण की खातेदारी के खेत खसरा नम्बर 292, 352, 781/633 कुल रकबा 179 व खेत खसरा नम्बर 633/350, 780/633 रकबा क्रमशः 104.06, 74.14 बीघा, कुल रकबा 179 मौजा-निम्बला व खसरा नम्बर 762/348 रकबा 20.07 व खसरा नम्बर 348 रकबा 61.01, पटवारी हल्का- निम्बला, भु- अगिलेख निरीक्षक- निम्बला, तह0 शिव में भूमि आई हुई है।

प्रार्थीगण की उपरोक्त भूमि के सेढा - सेढ ही विप्रार्थीगण की भूमि आई हुई है, प्रार्थीगण एवं विप्रार्थीगण के खेतों के बीच में किसी प्रकार की कोई पक्की माठें तथा सीमा लेते समय खेतों के सेढों के संबंध में तनाव एवं विवाद बना रहता है तथा विप्रार्थीगण प्रार्थीगण की भूमि का जबरन सेढा तोडकर प्रार्थीगण की खातेदारी भूमि पर जबरन काश्त कर लेते हैं। तथा प्रार्थीगण को उसकी भूमि के उपयोग एवं उपभोग में हर समय बाधा उत्पन्न करते रहते हैं।

अतः सी.पी.सी. Order 5 Rule 9(5) के तहत 30 दिन से अधिक समय व्यतीत होने पर मान लिया जाता है कि विप्रार्थीगण 1 से 68 के सम्मन तामील हो गए हैं। सम्मन तामील होने के बावजूद विप्रार्थीगण अनुपस्थित। अतः विप्रार्थीगण के खिलाफ एक तरफा कार्यवाही अमल में लाई जाती है। प्रार्थीगण के वकील की बहस सुनी गई एवं पत्रावली का अवलोकन किया गया। प्रस्तुत नक्शे एवं वर्तमान जमाबन्दी का अवलोकन किया गया। वर्तमान नक्शे के आधार पर प्रार्थीगण के खेत की सीमा विप्रार्थीगण के खेत की सीमा से लगती है।


अतः वर्तमान सर्वेक्षण नक्शे के आधार पर प्रार्थीगण की पक्की नेखमबंदी की मांग स्वीकार करने योग्य है।


सहायक कलेक्टर
(S.D.O.) शिव

— आदेश —

अतः रामदान पुत्र बख्तावरदान, जाति—चारण, नि० निम्बला वगैरा तह० शिव का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर खेत खसरा नम्बर 292, 352, 781 / 633 कुल रकबा 179 व खेत खसरा नम्बर 633 / 350, 780 / 633 रकबा कमशः 104.06, 74.14 बीघा, कुल रकबा 179 मौजा—निम्बला व खसरा नम्बर 762 / 348 रकबा 20.07 व खसरा नम्बर 348 रकबा 61.01, पटवारी हल्का— निम्बला, भु— अभिलेख निरीक्षक— निम्बला, तह० शिव के चारों तरफ पक्के नेखमंबदी हेतु तहसीलदार शिव को कमीश्नर नियुक्त किया जाता है। कमीश्नर शुल्क 1000 /— रूपये प्रार्थीगण द्वारा मौके पर अदा किया जायेगा। नेखमंबदी दोनो पक्षों की मौजूदगी मे की जावे यदि मौके पर विवाद हो तो संबंधित पुलिस थाना ईमदाद प्राप्त करने हेतु अधिकृत किया जाता है। तहरीर जारी हो। पत्रावली फ़ैसल शुमार होकर दाखिल दफतर हो।

निर्णय आज दिनांक 12.04.2019 को सरे इजलास सुनाया गया।


उपखण्ड अधिकारी
शिव

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, शिव जिला बाड़मेर

पीठारसीन अधिकारी : श्री प्रतापसिंह (आई.ए.एस)

राजस्व आवेदन संख्या :- 283/2018

क्रमांक/आवेदन/19/ 1254

दिनांक- 12.04.2019

| प्रार्थीगण | बनाम | विप्रार्थीगण |
|--|------|------------------------------------|
| रामदान पुत्र बख्तावरदान, जाति-चारण, नि0 निम्बला, तह0 शिव वगैरा (4) | | पन्ना राम पुत्र गुलाराम वगैरा (68) |
| प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111, 128 राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम आदेश | | |

प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत नेखमबंदी आवेदन पर वकील प्रार्थी को सुना एवं पत्रावली का अवलोकन किया गया। तहसीलदार शिव को भेजकर लेख है कि उपरोक्त प्रकरण में खेत खसरा नम्बर 292, 352, 781/633 कुल रकबा 179 व खेत खसरा नम्बर 633/350, 780/633 रकबा कमशः 104.06, 74.14 बीघा, कुल रकबा 179 मौजा-निम्बला व खसरा नम्बर 762/348 रकबा 20.07 व खसरा नम्बर 348 रकबा 61.01, पटवारी हल्का- निम्बला, भू- अभिलेख निरीक्षक- निम्बला, तह0 शिव के चारो तरफ रथाई पक्के नेखम स्थापित करने हेतु तहसीलदार शिव को कमीशनर नियुक्त किया जाता है। प्रार्थी कमीशनर शुल्क 1000/- मौके पर अदा करेंगे। कमीशनर प्रार्थी के खसरो की नेखमबंदी विप्रार्थीगण की उपस्थित में करे।

उपरोक्त नेखमबंदी कर पालना रिपोर्ट 15 दिवस के भीतर उपलब्ध करावें ताकि नेखमबंदी की पुष्टि की कार्यवाही की जा सके। आवश्यक होने पर संबंधित पुलिस थाना से पुलिस इमदाद हेतु अधिकृत किया जाता है।

उपखण्ड अधिकारी
उपखण्ड अधिकारी
शिव

दिनांक- 16-4-19

क्रमांक/आवेदन/19/ 1255-61

प्रतिलिपि- निम्नांकित को सूचनार्थ एवं पालनार्थ।

1. तहसीलदार शिव को पालनार्थ।
2. भू-अभिलेख निरीक्षक निम्बला को सूचनार्थ।
3. हल्का पटवारी निम्बला को भेजकर लेख है कि भू-अभिलेख निरीक्षक निम्बला द्वारा निर्धारित तिथि को मय रिकार्ड मौके पर उपस्थित होकर नेखमबंदी की कार्यवाही पूर्ण करावें।
4. थानाधिकारी पुलिस थाना शिव को पालनार्थ।
5. प्रार्थीगण रामदान पुत्र बख्तावरदान वगैरा (4) को सूचनार्थ।
6. विप्रार्थीगण पन्ना राम पुत्र गुलाराम वगैरा (68) को सूचनार्थ।

उपखण्ड अधिकारी
उपखण्ड अधिकारी
शिव

Scanned by CamScanner

